

राजस्थान सरकार

# निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

(दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता हेतु आवेदन-पत्र)

राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम, 1976 के अन्तर्गत

1. कर्मचारी का नाम व पद :
2. पिता का नाम :
3. विभाग एवं कार्यरत स्थान :
4. जन्मतिथि :
5. नियुक्ति तिथि :
6. स्थायी / अस्थायी :
7. वेतन एवं वेतन श्रृंखला :
8. स्थायी पता :
9. विकलांग होने का कारण
  1. कौनसा अंग कार्य करने में असमर्थ है ? : .....
  2. विकलांगता का कारण : .....
10. प्रमाण पत्र : मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतया सही है तथा किसी स्रोत से विकलांग वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा हूँ / रही हूँ ।

प्रधानाध्यापक की अभिशांया

कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम पद एवं विभाग

पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी